न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —131 / 2019(2019 / 00211)

अनवान : —

1. दिनेशकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सन्दीप पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र शेरा जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री भानुप्रताप सिंह वादीगण
श्री पवन सिहाग प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 04/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के वर्तमान खाता सं 88 / 116 के मु0न0 39 किला न0 21, 22, मु0 न0 52 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मु0 न0 53 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0 न0 50 के किला न0 1, 2 कुल किता 14 की 3.542 हैक्टेयर मय खाला व रास्ता एवं 2 बीएचडी के वर्तमान खाता संख्या 80 / 100 के मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 13, 18 व 19 कुल किता 5 कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासति होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा शेरा की खातेदारी हुआ करती थी। शेरा के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी राजेन्द्र ने कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी राजेन्द्र ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र को वादी के दादा शेरा से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2067—70 चक 1 बीएचडी के खाता संख्या 116 / 807 एवं चक 2 बीएचडी जमाबन्दी सम्वत 2067—70 खाता संख्या 101 / 58 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में

वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 सुनीता वादीगण की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादीगण अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादीगण पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 1 बीएचडी के वर्तमान खाता सं 88/116 के मु0न0 39 किला न0 21, 22, मु0 न0 52 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मु0 न0 53 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0 न0 50 के किला न0 1, 2 कुल किता 14 की 3.542 हैक्टेयर मय खाला व रास्ता एवं 2 बीएचडी के वर्तमान खाता संख्या 80/100 के मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 13, 18 व 19 कुल किता 5 कुल 1.265 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादीगण हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी दिनेश कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 1 बीएचडी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 1 बीएचडी सम्वत 2067–70 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 2 बीएचडी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 2 बीएचडी सम्वत 2067–70 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 1 बीएचडी के वर्तमान खाता सं 88/116 के मु0न0 39 किला न0 21, 22, मु0 न0 52 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मु0 न0 53 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0 न0 50 के किला न0 1, 2 कुल किता 14 की 3.542 हैक्टेयर मय खाला व रास्ता एवं 2 बीएचडी के वर्तमान खाता संख्या 80/100 के मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 13, 18 व 19 कुल किता 5 कुल 1.265 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम मय खाला व रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है

जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के वर्तमान खाता सं 88/116 के मु0न0 39 किला न0 21, 22, मु0 न0 52 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मु0 न0 53 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0 न0 50 के किला न0 1, 2 कुल किता 14 की 3.542 हैक्टेयर व 2 बीएचडी के वर्तमान खाता संख्या 80/100 के मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 13, 18 व 19 कुल किता 5 कुल 1.265 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र मय खाला व रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 दिनेशकुमार, वादी संख्या 2 सन्दीप एवं प्रतिवादी सं 1 राजेन्द्र तीनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 131 / 2019(2019 / 00211)
अनवान : –

1. दिनेशकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सन्दीप पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र शेरा जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानुप्रताप व वकील प्रतिवादीगण श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के वर्तमान खाता सं 88 / 116 के मु0न0 39 किला न0 21, 22, मु0 न0 52 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, मु0 न0 53 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0 न0 50 के किला न0 1, 2 कुल किता 14 की कुल 3.542 हैक्टेयर मय खाला व रास्ता एवं 2 बीएचडी के वर्तमान खाता संख्या 80 / 100 के मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 13, 18 व 19 कुल किता 5 कुल 1.265 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें **वादीगण दिनेशकुमार, सन्दीप एवं प्रतिवादी राजेन्द्र को बहिस्सा बराबर** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 सुनीता द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)